न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-83RAAJodhpur2024-30RTA223 Arjunram Vs Tugi etc

अर्जुनराम पुत्र भेराराम जाति जाट, निवासी- ग्राम उनावड़ा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. टुगी पत्नी नवलाराम
2. मीमादेवी पत्नी सोनाराम
   जातियान् जाट, निवासीगण- नेवरा रोड़, औसिया, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला फलोदी।
4. देवाराम पुत्र भेराराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम उनावड़ा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर बापिणी राजस्व मूल वाद संख्या 78/2023 अर्जुनराम बनाम टुगी इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बापिणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2023 अनवान अर्जनुराम बनाम टुगी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 9/7 रकबा 15. 07 बीघा, खसरा न. 9/1 रकबा 54 बीघा, खसरा नं. 9/3 रकबा 10 बीघा ग्राम उनांवड़ा के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को प्रार्थना पत्र मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10 जनवरी 2024 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुख्य अनुतोष के साथ नियमित वाद पैश किया था तथा वाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष वादीगण का मुख्य अनुतोष था। साथ ही वादी द्वारा अपने वाद में अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश रिपोर्ट आने के उपरांत पत्थरगढी का निवेदन किया था। वादी का वाद वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ था तथा एक नियमित वाद में उसकी संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद ही वाद का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। विचारण न्यायालय में उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट से सहायक कलक्टर बापिणी स्थानांतरित होने पर वादी द्वारा अपना वकालतनामा अधिवक्ता विक्रमसिंह भाटी का दिया था तथा उनको वाद बाबत कार्यवाही करने के संबंध में ही कहा गया था। वादी अधिवक्ता ने अपीलार्थी वादी को कहा था कि आपकी आवश्यकता होने पर फोन करके बुलवा लिया जायेगा। वादी इसी विश्वास में रहा कि उनका वाद अभी तक विचाराधीन है, लेकिन उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर बापिणी स्थानांतरित होने पर दिनांक 03.01.2024 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पत्थरगढी की सहमति दी एवं पत्रावली दिनांक 10.01.2024 को केवल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। कानूनन एक नियमित राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर करने के उपरांत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के उपरांत जवाबदावा प्राप्त होता है एवं जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत तनकीयात कायम कर उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर ही प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण किया जाता है। वादी के इस वाद में विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए प्रतिवादीगण के कहे अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, क्योंकि वादी अपीलार्थी के इस वाद में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2023 को जारी की हुई थी जो इस निर्णय तक प्रभावी थी तथा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 7, 7/3 की पत्थरगढी गलत रूप से प्रतिवादीगण करवाना चाहते थे, वो हो नहीं रही थी, इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में वादी के वाद का येन-केन -प्रकारेण अंतिम निस्तारण करने के दुराश्य से अपीलाधीन निर्णय पारित करवा दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा पूर्व में करवाये गये पत्थरगढी के आदेश के विरुद्ध न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 95/2023 अनवान अर्जुनराम बनाम टुगी पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

प्रार्थना पत्र डिक्री पचे की छूट प्रदान कर अपीलार्थी की अपील को धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज रजिस्टर करने बाबत पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को निर्णित कर डिक्री पर्चा बनाने के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में नहीं लिखा है तथा न ही डिक्री पर्चा बनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाय जावे एवं डिक्री पर्चा की छूट प्रदान करते हुए निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जावे।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2023 अनवान अर्जनुराम बनाम टुगी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2024को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह वादी के वाद में नियमित वाद की प्रक्रिया अपनाते हुए जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर, उभय पक्ष से साक्ष्य ली जाकर मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त को है। वादी द्वारा अपने वाद में पत्थरगढी की इस्तदुआ चाही है जो विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद में दो अलग-अलग अधिनियम के तहत जारी इस्तदुआ को एक ही वाद में चाही गई है जो काननून देने योग्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि बाद पैमाईश ही अपीलांट स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत चाही गई इस्तदुआ विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान कर दिये जाने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं क्षेत्राधिकार से बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 9/1 रकबा 8.7412 हैक्टेयर, खसरा नं. 9/7 रकबा 15.07 बीघा एवं खसरा नं. 9/3 रकबा 10 बीघा में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है तथा धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 9/1 रकबा 8.7412 हैक्टेयर, खसरा नं. 9/7 रकबा 15.07 बीघा एवं खसरा नं. 9/3 रकबा 10 बीघा भूमि की पैमाईश तहसीलदार बापिणी से करवाई जाकर पत्थर गढी का आदेश फरमाये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट द्वारा अपने वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत भिन्न अनुतोषो को एक ही वाद में चाहा गया है जो कानूनन साथ-साथ नहीं चल सकते है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 111 एवं 128 के तहत चाहा गया अनुतोष अपीलांट को प्रदान किया जा चुका है। काननून अपीलांट अपनी आराजी की सीमाएं/हदूदे तय किये बिना धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं ठहरता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा को धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पारित निर्णय के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट बाद पैमाईश एवं पत्थगढी के अपनी भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अदालत हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2023 अनवान अर्जनुराम बनाम टुगी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही अपीलांट बाद सीमाकंन नये सिरे से धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुति हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर